

# न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, चौहटन

वीं सरकारी जरिये पटवारी हल्का.....सोपारिया..... बनाम

विप्राथी श्री.....यादव.....

वल्द.....चौहटन.....

जाति.....कु..... निवासी.....सोपारिया

राजस्व मुकद्दमा नं. ....95...../20.24 निर्णय दिनांक.....01-10-24.....

अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

## आदेश

यह मामला पटवारी हल्का.....सोपारिया.....की रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

जिसके अनुसार अप्राथी ने सरकारी भूमि मौजा.....सोपारिया.....के ख. नं. ....449.....में रकबा  
.....171.....

.....3.00.....बीघा किस्म.....पान.....पर संवत्.....2024.....खरीफ में काश्त कब्जा पर अतिक्रमण किया है।

अप्राथी को राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। जो अप्राथी से तामिल हो

चुका हैं अप्राथी उपस्थित/अनुपस्थित।

अप्राथी ने उक्त विवाद आराजी पर अपना अतिक्रमण कर कब्जा कास्त करना स्वीकार किया/बावजूद नोटिस तामिल के अप्राथी अनुपस्थित रहा। अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः अप्राथी को

विवादाग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त आराजी की फसल को जब्त सरकार किया जाकर अप्राथी पर बतौर लगान / शास्ति के भूमि के वार्षिकलगान रूपये.....0.03.....

का 50 गुणा रूपये.....5.00.....अक्षरे.....514 247..... आरोपित किये जाते हैं।

भू.अ. निरीक्षक हल्का.....राज की 557.....

को आदेश दिये जाते कि वह उक्त भूमि से अतिक्रमी को बेदखल कर / मौके पर खड़ी फसल को नीलाम कर फर्द नीलामी स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करे। पालना रिपोर्ट 3 दिन में पेश करें। जुर्माना / फसल नीलामी की वसूली हेतु पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक.....01-10-24.....को सरे आम लिख कर सुनाया गया।

  
तहसीलदार चौहटन

  
तहसीलदार, चौहटन